

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—III में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 10 मार्च, 2017

No. F.3(472)/Tariff-Engg./DERC/2016-17/5475/2490 - दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2017, एनसीटीडी नं. 343, दिनांकित 02-02-2017 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम के अंग्रेजी संस्करण में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

- i. भाग 1 में, खंड “**SHORT TITLE COMMENCEMENT AND EXTENT**”, को “**1. SHORT TITLE COMMENCEMENT AND EXTENT**” पढ़ा जाए।
- ii. भाग 1 में, खंड 1 के अंतर्गत, उप-खंड “(3), (4), (5), (6) ” को (1), (2), (3), (4)” पढ़ा जाए।
- iii. भाग 1 में, खंड 1 के अंतर्गत, उप-खंड “(7)”, उप उप-खंड “(a), (b)” को “(5)”, “(a), (b)” पढ़ा जाए।
- iv. भाग 1 में, खंड 2, उप खंड (1) में “Act” को “**Act**” पढ़ा जाए।
- v. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (12), उप उप-खंड “(a), (b), (c), (d)” को “(a), (b), (c), (d)” पढ़ा जाए।

- vi. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (18), उप उप-खंड “(a), (b), (c), (d), (e)” को “(a), (b), (c), (d), (e)” पढ़ा जाए।
- vii. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (26), उप उप-खंड “(a), (b), (c), (d)” को “(a), (b), (c), (d)” पढ़ा जाए।
- viii. भाग 1 में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (69), उप उप-खंड “(a), (b)” को “(a), (b)” पढ़ा जाए।
- ix. भाग 2 में, शीर्षक “**Business Plan**” को “**BUSINESS PLAN**” पढ़ा जाए।
- x. भाग 3 में, उप-शीर्षक “**GENERATING ENTITY and Transmission Licensee**” को “**GENERATING ENTITY AND TRANSMISSION LICENSEE**” पढ़ा जाए।
- xi. भाग 4 के, खंड 15 में “Regulation 0” को “Regulation 13” पढ़ा जाए।
- xii. भाग 5 के, शीर्षक “**ARR Components**” को “**ARR COMPONENTS**” पढ़ा जाए।
- xiii. भाग 5 के, खंड 28 में “Regulation 0 to 0” को “Regulations 44 to 48” पढ़ा जाए।
- xiv. भाग 5 के, खंड 31 में “Regulation 0(2)” को “Regulation 25(2)” पढ़ा जाए।
- xv. भाग 5 के, खंड 46 में “Regulation 0” को “Regulation 45” पढ़ा जाए।
- xvi. भाग 5 के, पेज 54, खंड 68 के बाद, “Return on Capital Employed (RoCE) for the year “I” shall be computed in the following manner:” को “69. Return on Capital Employed (RoCE) for the year “I” shall be computed in the following manner:” पढ़ा जाए।
- xvii. भाग 5 के, खंड 73 में “Regulation 0” को “Regulation 72” पढ़ा जाए।
- xviii. भाग 5 के, खंड 74 में “Regulation 0 and 0” को “Regulation 63 and 64” पढ़ा जाए।
- xix. भाग 5 के, खंड 83 में “Regulation 0” को “Regulation 51” पढ़ा जाए।
- xx. भाग 6 के, शीर्षक “**Recovery of Aggregate Revenue Requirement**” को “**RECOVERY OF AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT**” पढ़ा जाए।

- xxi. भाग 6 में, खंड 116 के अंतर्गत, उप-खंड “(a), (b), (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j)” को “(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l)” पढ़ा जाए।
 - xxii. भाग 6 के, खंड 117 में “Regulation 0” को “Regulation 116” पढ़ा जाए।
 - xxiii. भाग 6 के, खंड 120 में “Regulation 0” को “Regulation 119” पढ़ा जाए।
 - xxiv. भाग 6 के, खंड 122, की प्रथम लाइन में “Regulation 0” को “Regulation 119” पढ़ा जाए और अंतिम लाइन में “Regulation 0” को “Regulation 121” पढ़ा जाए।
 - xxv. भाग 6 के, खंड 130 में, “Capacity Charges of Transmission Licensee including Load Dispatch Charges Stations as approved/adopted by the appropriate Commission” को “(b) Capacity Charges of Transmission Licensee including Load Dispatch Charges Stations as approved/adopted by the appropriate Commission” पढ़ा जाए।
 - xxvi. भाग 6 के, खंड 130 में, “Fixed Cost of Distribution Licensee:” को “(c) Fixed Cost of Distribution Licensee:” पढ़ा जाए।
 - xxvii. भाग 7 के, खंड 152, उप-खंड (e) में, “Regulation 0” को “Regulation 77” पढ़ा जाए।
 - xxviii. भाग 7 के, खंड 152, उप-खंड (f) में, “Regulation 0” को “Regulation 85” पढ़ा जाए।
4. यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

सुरेंद्रा इडुपघंटी
सचिव